२.

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0—06/निबं0 स्वी0—118/2017 पटना, दिनांक—

विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित किये जा रहे नये मॉडलों के वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—126 के तहत प्राधिकृत केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा Type Approval Certificate निर्गत किया जाता है।

तद्नुरूप वर्तमान व्यवस्था के तहत वाहन निर्माता कंपनियों/डीलरों द्वारा नये मॉडलों के वाहन का केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा निर्गत Type Approval Certificate के आधार पर परिवहन विभाग मुख्यालय से एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था लागू है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—RT-11028/16/2017-MVL दिनांक—24.11.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वाहन निर्माता कंपनियों के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त के आलोक में वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम—126 के तहत प्राधिकृत केन्द्रीय एजेंसियों से निर्गत Type Approval Certificate एवं FORM-22 समर्पित किए जाने की स्थिति में उन्हें Trade Certificate निर्गत करने एवं वाहनों के निबंधन हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) को निदेशित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत सभी पत्र, परिपत्र आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— 7404 पटना, दिनांकः— 03/9/2025

प्रतिलिपिः—परिवहन विभाग मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाय।

03/09/25

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

829 D:\File 2025\SK 2025\SK Letter 2025.DOCX

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06/निबं0 स्वी0–118/2017 7404 **पटना, दिनांक–** 03/9/2025

विभिन्न वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित किये जा रहे नये मॉडलों के वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 के तहत प्राधिकृत केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा Type Approval Certificate निर्गत किया जाता है।

तद्नुरूप वर्तमान व्यवस्था के तहत वाहन निर्माता कंपनियों/डीलरों द्वारा नये मॉडलों के वाहन का केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा निर्गत Type Approval Certificate के आधार पर परिवहन विभाग मुख्यालय से एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था लागू है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–RT-11028/16/2017-MVL दिनांक–24.11.2020 में निहित प्रावधान के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वाहन निर्माता कंपनियों के लिए परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त के आलोक में वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 के तहत प्राधिकृत केन्द्रीय एजेंसियों से निर्गत Type Approval Certificate एवं FORM-22 समर्पित किए जाने की स्थिति में उन्हें Trade Certificate निर्गत करने एवं वाहनों के निबंधन हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी निबंधन प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) को निदेशित किया जाता है।

2. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. एतदसंबंधी पूर्व में निर्गत सभी पत्र, परिपत्र आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

03/09/25

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

829 D:\File 2025\SK 2025\SK Letter 2025.DOCX